न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 24.3.2022

प्रकरण संख्या :– 41/2022

मदनलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशननिवास हाल मुकाम लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ....प्रार्थी

बनाम

01. रामपाल पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. जयलाल पुत्र मूणलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशंननिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. बद्रीलाल पुत्र नोला जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी किशनिवास हाल मुकाम लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
04. बंशीलाल पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
05. देवराज पुत्र जयकिशन जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोपालनिवास तहसील बूंदी जिला बून्दी (राज0) ....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **मदनलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशननिवास हाल मुकाम लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये **अभिभाषक श्री रामफूल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि **ग्राम किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 62 पर अंकित आराजी संख्या 53 रकबा 0.4532 हैक्टेयर सामलाती भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेडा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 62 पर अंकित आराजी संख्या 53 रकबा 0.4532 हैक्टेयर सामलाती भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जि. भीलवाड़ा